न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/337
मिसलनम्बर–96 / 2024

1.रामदयाल
2.मेघराज पिसरान ओगडीलाल उर्फ जीतमल जाति मेहर निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.बालचंद आत्मज कान्हा जाति मेहर
2.प्रेमचंद आत्मज बालचंद जाति मेहर
3.महावीर आत्मज बालचंद जाति मेहर निवासीगण कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज

–अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 30/4/26

उपस्थितिः–
1.श्री कृष्ण दत्त दाधीच अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री दीनानाथ गालव अधिवक्ता अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि खसरा संख्या 86 रकबा 1.54 हैक्टर वाके ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है उस भूमि के 1/2 हिस्से में खातेदार कृषक प्रार्थीगण है तथा भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। इस भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रेमचन्द अप्रार्थी संख्या 2 ने कुटरचित दस्तावेज से अपना नाम दर्ज करा लिया है जिसके संबंध में कार्यवाही न्यायालय मे जेरकार है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व की तरफ अप्रार्थी बालचन्द की कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है जिसके खसरा नम्बर 80 रकबा 1.49 हैक्टर है जिसके खसरा नम्बर 80 रकबा 1.49 हैक्टर है। खसरा संख्या 86 एवं खसरा संख्या 80 के बीच पोराणिक मेड बनी हुई है जिसमें एक जामुन का पेड खडा है वो करीब 40 वर्ष पुराना है। अप्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो से मिलकर राजस्व नक्शे में भी परिवर्तन करा लिया तथा प्रार्थी की भूमि का नक्शा छोटा बना दिया गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर वादीगण ने सेटलमेन्ट के पूर्व का नक्शा निकलवाया तब ही प्रार्थीगण को नक्शा परिवर्तन की जानकारी हुई। अप्रार्थीगण राजस्व नक्शे में कराये गये इन्द्राज के आधार पर पूर्व में बनी हुई मेड को तोडकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है। इस हेतु अप्रार्थीगण प्रेमचन्द एवं महावीर आये दिन प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि हम इस जमीन पर कब्जा करेगे। साथ ही पुलिस थाना कैथून मे झूठी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस थाना कैथून के कर्मचारियो से मिलकर जबरन पुलिस का दबाव डालकर प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे की खातेदारी अधिकारो की भूमि खसरा संख्या 86 रकबा 1.54 हैक्टर वाके ग्राम कादीहेडा के पूर्वी तरफ की करीब 0.10 हैक्टर भूमि जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण की चावल की फसल खड़ी है पर कब्जा करनेकी धरमकियां दे रहे है। सेटलमेन्ट के पूर्व बने नक्शे खसरा संख्या 86 जिसके सेटलमेन्ट के पूर्व खसरा संख्या 31 मिन व खसरा संख्या 80 जिसके सेटलमेन्ट के पूर्व के खसरा संख्या 28 मिन है के अनुसार ही वर्तमान में दोनो खेतो के बीच मेड बनी हुयी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध थाना केथून मे झूँठी रिपोर्ट करवादी जिसके आधार पर गत मंगलवार को प्रार्थीगण को थाने मे बुलाकर धमकी दी गई कि चावल की फसल करते ही भूमि प्रेमचन्द को सम्भला देना नही तो प्रार्थी गिरफ्तार कर हवालत मे पहुँचा देगें। प्रार्थीगण गरीब एवं कमजोर व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण पैसे वाले है तथा लडाकू किस्म के व्यक्ति है जिनसे प्रार्थीगण लडाई नही कर सकते है इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण पुलिस से मिलकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा सख्या 86 के पूर्व भाग की करीब 0.10 हैक्टर भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण अपने मन्सूबो मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपार एवं अनुचित हानी होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नही होगी। बेलेन्स आफ कनवीनियन्स एव प्राईमाफेसाई केस प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगणो ने प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर ताकत के बल पर कब्जा कर के उक्त कृषि आराजी को खुर्द बुर्द बेचान कर दिया या अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरित कर दिया तो प्रार्थीगणो को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण भविष्य मे कभी भी नही कर सकेगे और प्रार्थीगणो को अनेकानेक वाद विवादो मे उलझकर खर्चे से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जेरबार होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 86, एवं चरण संख्या 3 में वर्णित, ासरा संख्या 80 के बीच, बनी पौराणिक मेड को तोडकर प्रार्थीगण के स्वाामित्व व कब्जे की भूमि खसरा नं0 86 के किसी भी भू भाग पर कब्जा नही करे। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 86 रकबा 1.54 हैक्टर के किसी भी भू भाग पर प्रार्थीगण के शान्त एवं वैध कब्जे मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे न ही प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण के पक्ष मे हो वह प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं0 86 व 80 के मध्य कोई किसी प्रकार की मेडबंदी नही हो रही है, खसरा नं0 86 व 80 के मध्य किसी प्रकार का ना तो कोई रास्ता है जामुन का पेड प्रतिपक्षीगण के हिस्से की आराजी में है जो उसकी ट्यूबेल के पास लगा हुआ है। अप्रार्थीगण ने कभी भी सेटलमेंट विभाग से किसी प्रकार का नक्शा न तो परिवर्तित कराया है और ना ही प्रार्थीगण की भूमि का रकबा छोटा किया है। मात्र दुर्भावनावश यह वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपने खसरा नं0 86 की आराजीयात पर कांकड के सहारे होकर उसी जमीन पर आता जाता है। यह कहना असत्य व निराधार है कि प्रतिपक्षीगण ने पूर्व की ओर की 0.10 है0 आराजीयात पर फसल खडी कर दी हो, बल्कि प्रतिपक्षीगण गत 50 वर्षो से अपने हिस्से की आराजी पर फसल करते आ रहे है जहां किसी प्रकार से कोई अतिरिक्त भूमि नही है। जो पूर्व की तरफ स्थित हो। पूर्व में भी प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करा दिया गया था पटवारी द्वारा खेत नाम लिया गया था तथा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही पाया गया। यह स्वीकार नही है कि खसरा नं0 80 व 86 के बीच में किसी प्रकार की कोई पौराणिक मेढ बनी हुई हो, जिसे तोडकर प्रतिपक्षीगण अतिक्रमण कर रहे हो और बेदखल कर रहे हो। प्रार्थीगण आज भी अपनी आराजी पर खसरा नं0 86 की मेड के सहारे ही जाता है खसरा नं0 80 में उसका कोई रास्ता नही है ना ही नया रास्ता कायम करने का उसे कोई अधिकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दौरोने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। उभयपक्षकारान के मध्य खसरा नं0 80 व 86 के मध्य स्थित मेड के सम्बंध में जो भी विवाद है उसका निस्तारण मूल प्रकरण के निस्तारण होने के पश्चात ही सम्भव होगा। मूल प्रकरण के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। जिस कारण से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में ता–फेसला वाद उभयपक्षों को ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं0 80 एवं खसरा नं0 86 के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 30/5/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा